

06/5/17

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उप०।

अभियुक्त महावीर गोहद जेल से पेश।

अभियुक्त जाहरसिंह व सज्जोबाई सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

प्रकरण उर्पापण तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्षों के तर्क सुने गये।

अभियोजन कहानी के अनुसार मजरूवा शशि कुशवाह पत्नी महावीरसिंह निवासी अनायच को आग से जलने पर पति महावीर द्वारा दिनांक 09.11.16 को भर्ती कराया गया जिसकी दौराने इलाज दिनांक 11.11.16 को मृत्यु हो जाने से मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच में अभियुक्तगण के विरुद्ध मृतिका की शादी दिनांक 04.02.16 से लगातार दहेज में एक लाख रुपये एवं चार पहिया गाड़ी की मांग कर प्रताड़ित करना, उक्त प्रताड़ना के कारण दिनांक 11.11.16 को शशि की मृत्यु शादी के सात वर्ष के भीतर सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में होना पाए जाने से धारा 304 बी भादवि० एवं दहेज प्रतिषेध अधि० की धारा 3, 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

उक्त धाराओं के अधीन विचारण का एकमात्र क्षेत्राधिकार मान० सत्र न्यायालय को होने से प्रकरण मान० सत्र न्यायालय को उपार्पित किया जाता है।

प्रकरण मे द०प्र०स० की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं सलग्न दस्तावेजों की प्रति पूर्व मे दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण मे निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय मे प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उर्पापण सबधी सूचना भेजी जाए।

महाराष्ट्र सरकार
नि.प्र.सू.प्र.जा.व.।

जाहर सिंह
19-5-17

महाराष्ट्र सरकार


उपार्ण की सूचना मालखाना नालिर को प्रकरण में जलशुदा सपति को
माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए।

अभियुक्त महावीर जेल में है अतः जेलर को निर्दिष्टित किया जावे कि वे
आगामी दिनांक को अभियुक्त को मान-0 सत्र न्यायालय गौहद के समक्ष पेश करें।
बोध अभियुक्तगण को निर्दिष्टित किया गया कि वे आगामी दिनांक को मान-0 प्रथम
अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद के न्यायालय में 11 बजे उपस्थित रहें।

अतिरिक्त अवधि का प्रमाणपत्र बनया जावे।

प्रकरण उपार्ण की सूचना मान-0 सत्र न्यायालय में संभारण की दृष्टि से
किए जाने वाले बावले प्रकरण पञ्चवली मय डायन के मान-0 सत्र न्यायालय सिपुड को
प्रेषित की जावे।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गौहद के समक्ष अभियुक्तगण की
उपस्थिति हेतु दिनांक 19.05.17 को पेश हो।



(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)